संख्या-38/2026/I/1225801/2026/23-6099/263/2025

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2026

विषयः- सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात प्रदेश के कतिपय जनपदों के कुल 21 कार्यो के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत प्रदेश के कतिपय जनदों के कुल 21 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,52,94,290.00 की धनराशि को कार्य पर भारित करते हुए आई0ओ0सी0एल0 को अग्रिम में भुगतान किया गया था और उक्त धनराशि को कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप आई0ओ0सी0एल0 से वापस प्राप्त कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है, के समतुल्य धनराशि रू0 1,52,94,290.00 (रूपये एक करोड़ बावन लाख चौरान्वे हजार दो सौ नब्बे मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनः अवमुक्त किए जाने की अधोलिखित विवरण/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक | जनपद/ खण्ड का नाम | कार्य का विवरण | स्वीकृत लागत शासनादेश संख्या | स्वीकृत लागत | राजकोष में जमा की गयी धनराशि | | आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | चालान संख्या | राजकोष में जमा की गयी धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7339(1) BG/ 07/B(IOCL) /25-26, Dt. 29.09.25 | प्रा0ख0 शाहजहॉपुर | मुटिया देहा अहतमाली सम्पर्क मार्ग | 111/2019/ आ0 /134(1)/ 23-9-2019- 03DD/2019, Dt. 18.11.19 | 87.75 | BL00094 21.02.2023 | 6.12 | 6.12 |
| 2 | 7244 BG/ 07B(IOCL)/ 25-26, Dt. 15.09.25 | प्रा0ख0 बदायूं | उसहैत कोरी कलां मार्ग वाया कटरा अटेना मार्ग के किमी0-15 से कडडी नगला मार्ग | 119/2019/ आ0/12(1)/23-9-2019-DD/19, Dt. 04.12.19 | 28.900 | DD00112 12.04.2023 | 5.41 | 5.410 |
| 3 | तदैव | प्रा0ख0 बदायूं | अमृतापुर से बेगमगंज मार्ग | तदैव | 32.880 | DD00112 12.04.2023 | 3.29 | 3.290 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | तदैव | प्रा0ख0 बदायूं | सुखौरा से मिलक सम्पर्क मार्ग | तदैव | 88.830 | DD00112 12.04.2023 | 7.25 | 7.250 |
| 5 | तदैव | प्रा0ख0 बदायूं | मझिया कचहरी शेखूपुर सकरी जंगल मार्ग किमी0-9 से मीरापटटी मार्ग | तदैव | 93.050 | DD00112 12.04.2023 | 13.52 | 13.520 |
| 6 | 7249बीजी /07 बी/(iocl) /2025-26 Dt. 16.09.25 | नि0ख0-1 शाहजहाँपुर | जलालाबाद ढाईघाट मार्ग से आधीदेई मार्ग के किमी0-6 से एतमादर पिण्डरिया सम्पर्क मार्ग | 39/2021/ आ० -130/23-9-2020-04 डी डी /2020 दिनांक- 17.02.21 | 186.070 | 98 21.02.2023 | 10.91 | 10.9109 |
| 7 | 6164बीजी /07 बी/(iocl) /2025-26 dt. 26.08.25 | नि0ख0-1 हरदोई | सोनौरा फार्मपुरवा मार्ग से सेमरियापुरवा सम्पर्क मार्ग कार्य | 46/2021/ आ० -145/23-9-2020-08 डी डी /2020,दिनांक 25-02-2021 | 76.53 | 63 22.11.2023 | 1.35 | 1.35 |
| 8 | 444बीजीजी /07 बी/(iocl) /2025-26, Dt. 13.08.25 | प्रा0ख0 जौनपुर | मेढ़ा प्राइमरी पाठशाला से आगे चौबे बस्ती होते हुए मेढा घाट तक सम्पर्क मार्ग | 119/2019/ आ0/12(1)/23-9-2019-DD/19, Dt. 04.12.19 | 39.440 | DL 00050 21.04.2023 | 0.277 | 0.277 |
| 9 | तदैव | प्रा0ख0 जौनपुर | बरैया (गोनौली) सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 से बांये मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग का कार्य | तदैव | 23.360 | DL 00050 21.04.2023 | 0.036 | 0.036 |
| 10 | तदैव | प्रा0ख0 जौनपुर | गुन्दालपुर से दाहिने बिन्द बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य | तदैव | 34.510 | DL 00050 21.04.2023 | 0.314 | 0.314 |
| 11 | तदैव | प्रा0ख0 जौनपुर | सैदपुर गडउर प्राथमिक पाठशाला से चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का कार्य | तदैव | 25.360 | DL 00050 21.04.2023 | 0.556 | 0.556 |
| 12 | तदैव | प्रा0ख0 जौनपुर | गोरारी खलीलपुर पच्छिमी राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण | 13/2020/आ-175/23-9-2019-03 डी डी /2019 दिनांक- 15.01.2020 | 15.870 | DL 00050 21.04.2023 | 0.329 | 0.329 |
| 13 | 5813 बीजी/07/बी (IOCL) /2025-26 दिनांक- 02/09/2025 | नि० खंड-2 आजमगढ़ | रानी की सराय निजामाबाद मार्ग के कि०मी०-6 से मारुफपुर हादी अली संपर्क मार्ग | 48/2021/आ०-131/23-9-2020-05 डी डी /2020 दिनांक- 25.02.2021 | 98.32 | V.N0-18 18-03-2023 | 26.74 | 26.74 |
| 14 | 7388बीजी /07 बी/(ioc l) /2025-26 | नि० खंड-3 बाराबंकी | पुछारीपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य | 13/2020/आ-175/23-9-2019-03 डी डी /2019 दिनांक- 15.01.2020 | 50.21 | 5400/01/ AR 00047 | 4.75 | 4.75 |
| 15 | 455बीजी/07 बी/(iocl) /2025 - 26, Dt. 19.08.25 | प्रा0 ख0 महाराजगंज | सिसवा बुजुर्ग में खजरहंवा टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 46/2021/आ0-145/ 23-9-2020-08DD/ 2020, Dt. 25.02.21 | 133.43 | 7000/01 /D600027 , Dt. 06.04.23 | 7.00 | 7.00 |
| 16 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | ओबरी टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 56/2021/ आ0-121/23-9-20- 03DD/2020, Dt. 03.03.21 | 34.92 | 7000/01 /D0 600027, Dt. 06.04.23 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | सबया से भोथियाही टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 46/2021/आ0-145/ 23-9-2020-08DD/ 2020, Dt. 25.02.21 | 132.66 | 7000/01 /D600027, D t. 06.04.23 | 11.09 | 11.09 |
| 18 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | भोथहा को मुसहर बस्ती टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 56/2021/ आ0-121/23-9-20- 03DD/2020, Dt. 03.03.21 | 48.56 | 7000/01 /D600027, D t. 06.04.23 | 15.00 | 15.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | ठूठीबारी नरायन टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | तदैव | 93.20 | 7000/01 /D0600027 , Dt. 06.04.23 | 12.00 | 12.00 |
| 20 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | गेडहवा से बलुआ टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 51/2020/ आ0-10/23-9-2020- 01-DD/2019, Dt. 07.03.2020 | 48.47 | 7000/01 /D600027, D t. 06.04.23 | 12.00 | 12.00 |
| 21 | तदैव | प्रा0 ख0 महाराजगंज | सतभरिया मे किशुनपुर टोला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। | 56/2021/ आ0-121/23-9-20- 03DD/2020, Dt. 03.03.21 | 55.04 | 7000/01 /D600027, D t. 06.04.23 | 10.00 | 10.00 |
| **कुल योग** | | | | | | | | **152.94290** |

## नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग/व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि वास्तविक रूप से राजकोष में जमा हो गयी है और राजकोष में जमा की गयी धनराशि उसी कार्य की है, जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्य पर किया जाए जिन कार्य पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022. दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनावन्टन सम्बन्धी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-1/952140/2025, दिनांक 02-05-2025 एवं पत्र संख्या-1/962076/2025, दिनांक 14-05-2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाय। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई०ओ०सी०एल० से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियों भी अवश्य प्रेषित की जाए।

(9) उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,52,94,290 (रुपये एक करोड़ बावन लाख चौरानबे हजार दो सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।